<u>शिविर कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।</u>

पत्रांक 3555 / ओएसडी / डीएम–कानपुर / कोविड–19 / 2020 दिनांक : 9-4-2020

<u>आदेश</u>

प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग–5 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–820 / पांच–5– 2020 लखनऊ दिनांक 09 अप्रैल, 2020 के माध्यम से यह निर्देश दिये गये हैं कि "वर्तमान में पूरे प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की विभाषिका से रोकने के उद्देश्य से लॉकडाउन किया गया है। इस संक्रमण से बचाव हेतु संक्रमित व्यक्ति का चिन्हीकरण एवं उसका नियमानुसार चिकित्सीय परीक्षण एवं उपचार आवश्यक है। इसमें थोड़ी सी भी चूक न होने पर इसका संक्रमण अत्यन्त तीव्र गति से होता है। संक्रमित व्यक्ति से कोरोना वायरस परिवार, समाज, एवं कार्य स्थाल पर साथ–साथ काम करने वाले व्यक्तियों में अत्यन्त तीव्रता से फैलता है, फलस्वरूप वह भी गम्भीर रूप से बीमार पड़ सकते है। बीमारी से मृत्यु तक होने की सम्भावना बनी रहती है।

कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति या वह सभी व्यक्ति जो संक्रमण क्षेत्र या संक्रमित व्यक्तियों के सम्पर्क में आये है, अथवा, जो निजामुद्दीन दिल्ली तब्लीगी जमात सम्मेलन में शामिल हुए हों या शामिल होने वालों के सम्पर्क में आये हो व जिनको किसी भी प्रकार से संक्रमण होने की सम्भावना हो, वह स्वेच्छा से बिना देरी अथवा लापरवाही किये 24 घण्टे के अन्दर अपनी चिकित्सीय जांच हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष स्वयं प्रस्तुत हों। ऐसा न करना महामारी अधिनियम 1897 की धारा (2), (3), (4) एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड–19 विनियमावली, 2020 के प्राविधानों का उल्लंघन है तथा ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध उक्त अधिनियम एवं विनियमावली के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

अतः तद्नुपालन में सर्वसंबंधित को निर्देशित किया जाता है कि जनपद कानपुर नगर में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति या वह सभी व्यक्ति जो संक्रमण क्षेत्र या संक्रमित व्यक्तियों के सम्पर्क में आये है, अथवा, जो निजामुद्दीन दिल्ली तब्लीगी जमात सम्मेलन में शामिल हुए हों या शामिल होने वालों के सम्पर्क में आये हो व जिनको किसी भी प्रकार से संक्रमण होने की सम्भावना हो, वह स्वेच्छा से बिना देरी अथवा लापरवाही किये 24 घण्टे के अन्दर अपनी चिकित्सीय जांच हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष स्वयं प्रस्तुत हों। ऐसा न करने पर महामारी अधिनियम 1897 की धारा (2), (3), (4) एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड–19 विनियमावली, 2020 के प्राविधानों का उल्लंघन मानते हुए ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध उक्त अधिनियम एवं विनियमावली के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(डा0 ब्रह्म देव राम तिवारी)
जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर।

प्रतिलिपि : निम्न लिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–आयुक्त महोदय, कानपुर मण्डल कानपुर को सादर सूचनार्थ।
2–डी0आई0जी0 / एस0एस0पी0 कानपुर नगर
3–नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर।
4–मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर।
5–समस्त अपर जिलाधिकारी कानपुर नगर।
6–नोडल अधिकारी, केन्द्रीय कन्ट्रोल रूम, कानपुर नगर।
7–नगर मजिस्ट्रेट / समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट / उप जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
8–उप निदेशक, सूचना, कानपुर नगर को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ
9–समस्त थानाध्यक्ष, कानपुर महानगर एवं घाटमपुर को अनुपालनार्थ।
10–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, कानपुर नगर।

जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर।